कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला– बीजापुर(छ0ग0)

/ 195 /मुचिअ/DMF/स्था0/2022 बीजापुर दिनांक 20/04/2022

// विज्ञप्ति //

Walk in Interview

जिले के अधिन संचालित जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र हेतु जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला खनिज न्यास निधि से **चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों का Walk in Interview के माध्यम से पदनाम के सम्मुख दर्शित** तिथि को आयोजन किया जावेगा। इच्छुक एवं पात्र अर्हताधारी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेजों के साथ अद्योलिखित समय पद उपस्थि होवें।

रिक्त संविदा पदों का वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	मासिक मानदेय	शैक्षणिक योग्यता	वॉक–इन –इन्टरव्यू दिनांक	रिमार्क
1	चिकित्सा अधिकारी	10	98350.00	MBBS&2 Year Experience in recognized Govt/Private/NGO Affileted Hospital.	2.05.22	निश्चित निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त बातचीत कर वरिष्ठता,एवं कार्यानुभव के आधार पर अतिरिक्त मानदेय में नियुक्ति दी जा सकती है।

चयन प्रकिया के सबंधक में दिशा–निर्देशः–

1. यह पूर्णतः अस्थायी होगा।
2. इस हेतु मानदेय जिला खनिज न्यास निधि मद अन्तर्गत प्रावधानित वेतन एकमुश्त देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. भर्ती की समस्त जानकारी जिला बीजापुर के वेबसाईड https://bijapur.gov.in/ तथा कार्यालय के सूचना पटल से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
4. Walk in Interview के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित को संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य कर निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जानकारी संबधितों को पृथक से नहीं दी जावेगी।
6. संविदा मानदेय : संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा/भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा।

7. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

8. उक्त संविदा पर अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

9. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकारी जिला स्वास्थ्य चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

10. आवश्यक दस्तावेज – आवेदन करते समय निम्न अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न किया जावे:–

- ⇨ निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्गों की अंकसूची / संबंधित डिग्री / इंटर्नशीप प्रमाण पत्र।
- ⇨ छ.ग. पैरामेडिकल कॉन्सिल पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र आवष्यक है।
- ⇨ समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदाय जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
- ⇨ समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदाय मूल निवास प्रमाण पत्र।
- ⇨ अनुभव प्रमाण पत्र केवलशासकीय संस्थान का ही मान्य होगा।
- ⇨ अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरान्त प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य किये जायेंगे। अनुभव में अंको की गणना एक संस्था में एक एक पद पर 12 माह से कम अनुभव होने पर एक ही वर्ष का अंक दिया जायेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंको की गणना नही की जावेगी।
- ⇨ अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित पोषित संस्थाओं के ही मान्य होगें। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यार्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेगें।

11. चयन उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।

12. अभ्यार्थियों को भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु समय–समय पर https://bijapur.gov.in/ का अवलोगन करें इसके अलावा अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सूचना नही दी जावेगी। अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि समय–समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें।

13. भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन छ0ग0 मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार की जायेगी।

14. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यार्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।

20/01/2

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला– बीजापुर(छ0ग0)